दिनांक 08.04.2021 को दोपहर 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्री मनमोहन गोयल, महापौर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. श्री कृष्ण कुमार, सदस्य वार्ड नं0 01, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती सुमन रानी, सदस्य वार्ड नं0-02, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री धर्मेन्द्र गुलिया पप्पन, सदस्य वार्ड नं0-04, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती गीता, सदस्य वार्ड नं0-05, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड नं0 06, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री मनोज कुमार, सदस्य वार्ड नं0 07, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री सुनिल कुमार, सदस्य वार्ड नं0-08, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री जयभगवान, सदसय वार्ड नं0-09, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री राहुल देशवाल, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री कदम सिंह अहलावत, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती मंजू हुड्डा, दस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती कंचन, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री राधेश्याम, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री गुलशन कुमार ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती डिम्पल, सदस्य वार्ड नं0-16, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री राजकमल सहगल, वरिष्ठ उपमेयर एवं सदस्य वार्ड नं0 17, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती दीपिका, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।

18. श्रीमती मुक्ता, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।

19. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

20. श्री अनिल कुमार, उपमेयर एवं सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक।

21. श्रीमती संतोष, सदस्य वार्ड नं0 22, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया व छत्तीसगढ में नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिको व कोरोना मृतकों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात सदन की बैठक के एजेन्डे पर विचार विमर्श किया गया जोकि निम्न प्रकार है-

मद संख्या	एजेन्डा	निर्णय
1.	रोहतक शहर में नगर निगम की सीमा के अन्दर मुख्य चौराहों पर PPP Mode पर पुलिस बीट बाक्स लगाने बारे। उपरोक्त विषय पर पिछले 10-15 दिनो पहले M/s Brand Promoters के मालिक श्री पंकज विज से हुई आप महोदय आयुक्त, नगर निगम रोहतक व मेयर, नगर निगम, रोहतक से हुई वार्तालाप अनुसार M/s Brand Promoters रोहतक शहर में मुख्य चौराहो पर गर्मी, सर्दी व बरसात के दिनो में अपनी डयूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानो की सुविधा व शहर की सुन्दरता को मध्यनजर रखते हुए 20 स्थानो पर अपने खर्चे पर पुलिस बीट बाक्स बनवा कर लगवाना चाहते है जिसकी भविष्य में भी 20 सालो तक सारी मेंटेनेंस स्वय करने के लिए तैयार है व इसके लिए संबधित फर्म प्रत्येक बीट बाक्स पर छोटा-मोटा विज्ञापन करना चाहते है जिसके लिए वह प्रत्येक माह नगर निगम को 1500/-रू0 प्रति बीट बाक्स के हिसाब से कुल 20 बीट बाक्सो के 30000/-रू0 प्रति माह भी नगर निगम को देने को तैयार है। उपरोक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अगर अधिकारी महोदय सहमत हो तो संबधित फर्म द्वारा दी गई प्रस्तावना प्रत्येक बीट बॉक्स के 1500/-रू0 प्रतिमाह कुल 20 बीट बॉक्स के 30000/-रू0 प्रतिमाह व समय अवधि 20 वर्ष जो प्रस्तुत की गई है वह कम प्रतीत होती	इस बारे महापौर महोदय का सर्वसम्मति से धन्यवाद करते हुए M/s Brand Promoters से पायलट प्रोजैक्ट के तहत कार्य आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	है। अतः प्रत्येक बीट बॉक्स का प्रतिमाह रेट बढाए जाने व समय अवधि 20 वर्ष से कम किए जाने के निर्णय लिए जाने हेतू सदन मे विचारार्थ प्रस्तुत है।	
2.	माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा 12632 दिनांक 29.05.2017 के तहत भिवानी स्टैंड स्थित दुर्गा भवन मन्दिर के पास पार्किंग व कैफेटेरिया PPP Mode पर बनकर तैयार हो चुका है। जिसमें बेसमैन्ट, प्रथमतल, द्वितीयतल व तृतीयतल पर पार्किंग तथा तृतीय तल पर कैफेटेरिया बनकर तैयार हो चुका है। जिसको ऐलिवेटिड रोड़ से भी जोड़ा गया है। इससे शहर के भीड़-भाड़ वाले वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे शोरी मार्किट, माल गोदाम रोड, प्रताप बाजार व रेलवे रोड़ इत्यादि में आने वाले ग्राहकों/व्यापारियों को वाहन पार्किंग की बेहतर सुविधा प्रदान की गई है और इन्ही क्षेत्रों के व्यापारियों द्वारा विशेषतौर पर यह मांग की गई थी जो कि सरकार द्वारा पूर्ण की गई है। इसमें 70 कार तथा 260 दोपहिया वाहनों को पार्क किया जा सकता है। जिसका उद्घघाटन माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा दिनांक 21.03.2021 को किया जा चुका है। पार्किंग व कैफेटेरिया के संचालन व रख-रखाव हेतु निविदा आमन्त्रित करने हेतु सदन में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	सर्व प्रथम सदन द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री जी का धन्यवाद प्रकट किया। इस बारे सदन में विस्तृत चर्चा हुई एवं महिला पार्षदों द्वारा यह सुझाव दिया कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि पार्किंग व कैफेटेरिया का संचालन तथा रख-रखाव किसी महिला द्वारा किया जाए एवं पार्षद श्री सुरेश किराड़ द्वारा यह सुझाव रखा कि बेहतर अनुशासन (Discipline) के मध्यनजर वह महिला सेना से सेवानिवृत (Ex Serviceman Women) हो, जो कि एक अनुशासन में कार्य करने में सक्षम हो को नियमानुसार दिया जाना चाहिए। जिस पर सदन द्वारा दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस बारे वरिष्ठ उपमहापौर की अध्यक्षता में महिला पार्षद क्रमशः श्रीमती डिम्पल जैन, पार्षद, वार्ड नं0 16 व श्रीमती मुक्ता, पार्षद, वार्ड नं0 19 की कमेंटी गठित की गई। जिसमें आगामी नियम व शर्ते तय करते हुए निविदा बारे प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करवायेंगी। इसके अतिरिक्त कमर्शियल को लीज पर देने हेतू Concessionaire से पार्किंग व कैफेटेरिया का Possession लेकर, कमर्शियल का Tripartite लीज एग्रीमेंट करने के लिए भू अधिकारी को अधिकृत किया जाता है तथा जब तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण नही हो जाती तब तक भू-अधिकारी अपनी देख-रेख में इसका संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगें। शहर में पार्किंग की समस्या से निजात पाने का अच्छा प्रयास किया है इसलिए ऐसी ही और पार्किंग के प्रस्ताव तैयार करवाकर सरकार को भेजे जाए। सदन द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। **(कार्यकारी अभियंता-। व भू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3.	गांव सुनारियां में 33 के0वी0 सब स्टेशन बनाने के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक को जमीन देने बारे सदन में विचरार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(नायबतहसीलदार/भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

4.	प्लास्टिक वेस्ट मनेजमेंट के लिए जगह देने बारे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सुनारियां के पास नगर निगम की 8 एकड जमीन में से 2000 वर्गगज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एजेंसी को देने बारे निर्णय लिया गया। **(नायबतहसीलदार/भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
5.	जैव विविधता बारे सदन में विचार विमर्श हेतू प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए जैव विविधता की रिपोर्ट सरकार को भेजने बारे निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियंता, मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
6.	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक से प्राप्त पत्र क्रमांक MCR/EE/2021/875-877 दिनांक 12.02.2021 के साथ सलंग्न टैगोर कालोनी वैलफेयर सोसाईटी के द्वारा गली का नाम टैगौर कालोनी रखने बारे प्राप्त हुआ है, जिसे आप आगामी होने वाली सदन की बैठक में रखने का कष्ट करें।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम के वार्डो में पार्क/चौराहे इत्यादि का यदि कोई नामकरण किया जाना है तो संबधित पार्षद से एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग लेकर सब कमेटी के पास भिजवाया जाये। **(कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
7.	सरकार द्वारा Cattle Dung Management Policy बनाई गई है जिसमें नगर निगम, रोहतक की सीमा में पशुपालको, डेयरी व गौशालाओं से गोबर एकत्रित करके उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया जाना है जिसके तहत डोर टू डोर गोबर का एकत्रिकरण किया जाना है व उसके एकत्रिकरण के लिए निगमस्तर पर एक एकत्रिकरण शुल्क निर्धारित किया जाना है।	सर्वसम्मति से एकत्रिकरण निःशुल्क रखा जाना स्वीकृत किया गया। **(स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
8.	निम्नलिखित एजेन्डो पर सब कमेटी द्वारा निम्न लिखित प्रस्तावो पर सब कमेटी द्वारा आपसी सहमति से विचार किया गया कि आगामी सदन की बैठक में रखे जाए:- a) सुखपुरा स्थित सामुदायिक केंद्र का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम रखा जाए। b) पब्लिक पार्क, गांधी नगर, रोहतक का नाम श्री 108 स्वामी अमृतानन्दजी महाराज स्मृति पार्क के नाम पर रखा जाए। c) वार्ड नं0 04 में माता दरवाजा से आगे भरत सिंह चौपाल के पास छोटा सा चौराहा चौक का नाम स्व0 भरत सिंह चौक रखा जाए।	सर्वसम्मति से केस सरकार को भेजने बारे निर्णय लिया गया। **(भू अधिकारी संबधित कमेटी से अनुमोदन उपरांत कार्यायल अधीक्षक को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।)**

	d) मानसरोवर कालोनी स्थित पार्क का नाम कालोनी के संस्थापक अध्यक्ष स्व0 चौ0 बख्शा राम स्मृति पार्क रखा जाए। e) मॉडल टाउन स्थित तिकोना पार्क का नाम पं0 नेकीराम शर्मा स्मृति पार्क रखा जाए। f) वार्ड नं0 21 के झज्जर चुंगी चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। g) कच्चा बेरी रोड का नाम सुन्दर सिंह सहगल मार्ग रखा जाए	
वार्ड नं0 01		
9.	आईडीसी में पुराना बुस्टर है उसे चालू करवाया जाए।	आईडीसी में पुराना बुस्टर है उसे चालू करवाने हेतू कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को जलशक्ति अभियान के तहत रिवाईज एस्टिमेंट सरकार को भिजवाने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
10.	सैनिक कॉलोनी को आवासीय कॉलोनी बनाया जाए।	इस बारे Joint Director, DIC ने बताया कि आयुक्त नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2021 को इस संबध में बैठक रखी गई है उसके बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। **(Joint Director, DIC द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
11.	स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, वार्ड में 250 कुर्सी लगाई जाए।	कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को स्पीड ब्रेकर हिदायतों बारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों बारे अवगत करवाया गया जिस पर सभी पार्षदों को आदेश की प्रति भिजवाने बारे निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
12.	1000 लाईट लगाई जाएं।	निदेशालय के पत्र कमांक EE-II/DULB/2020/2723 दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से नई लाईटों की खरीद के लिए निदेशालय स्तर पर सभी नगर पालिकाओं, परिषदों व निगमों के आवश्यकतानुसार खरीद व पुरानी लाईटों को बदलने हेतू DPR तैयार की जा चुकी है। जिस पर सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत सभी नगर पालिकाओं, परिषदों व निगमों मे लाईटें लगवाने का कार्य किया जायेगा। उक्त DPR में नगर

		निगम, रोहतक हेतू भी नई लाईटें सम्मिलित की गई है जिन्हे कार्य प्रारंभ होने पर आवश्यकतानुसार लगवा दिया जायेगा। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
13.	वार्ड में 2 डिस्पेंसरी बनाई जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी वार्ड पार्षदों से उनके वार्ड में डिस्पैसरी की आवश्यकतानुसार मांग लेकर CMO Rohtak के माध्यम से सरकार को केस भेजा जाये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
14.	सूर्य नगर में जन स्वास्थ्य विभाग की 5.5 एकड़ जगह है उसमें निगम की तरफ से 2 एकड़ में पार्क बनवाया जाए।	सूर्य नगर में जन स्वास्थ्य विभाग की 5.5 एकड़ जगह पर 2 एकड़ में पार्क बनवाने बारे जनस्वास्थय विभाग से पत्राचार करने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
15.	सूर्य नगर में सीवर की परेशानी है उसे हर गली को मेन लाईन में जोड़ा जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को Feasiblity चैक करके नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
16.	ड्रेन नं0 8 के ऊपर कुताना में 5 पेड़ कटवाए जाए।	ड्रेन नं0 8 के ऊपर कुताना में पेड़ कटवाने के लिए वन विभाग से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
17.	वार्ड नं0 1 में सरकारी जगह का ब्यौरा दिया जाए।	वार्ड नं0 1 में नगर निगम की जगह का ब्यौरा देने बारे नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये। **(भू अधिकारी/नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
18.	HSIIDC में अंबेडकर के नाम की जगह वहां अंबेडकर कम्युनिटि सैन्टर बनाया जाए।	**इस विषय में GM, HSIIDC से पत्राचार करने बारे निर्देश दिये।** **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
19.	जीन्द पुल के नीचे शौचालय और सिंह पुरा रोड पर शौचालय बनवाया जाये ।	सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम, रोहतक CSR के तहत जीन्द पुल के नीचे व सिंह पुरा रोड पर शौचालय के निर्माण के लिए नगर निगम की भूमि पर योजना बनायेंगे व क्रियान्वन श्री विरेन्द्र सिंह नगर अभियंता CSR के तहत करवायेंगे। **(सहायक नगर योजनाकार व श्री विरेन्द्र सिंह नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाइ की जानी है।)**

20.	सीवर लाईन का बुरा हाल है कॉलोनी वाइज हर मेन हॉल की सफाई करवाएं	कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को वार्ड 1 में संबधित पार्षद से संपर्क करके सीवर की सफाई करवाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
21.	बिजली के खम्भे व ट्रांसफॉर्मर और एन्गल लगाई जाए।	महापौर महोदय ने एस0डी0ओ0 उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को सम्बन्धित पार्षद से समन्वय स्थापित करके आवश्यकतानुसार बिजली के खम्भे व ट्रांसफॉर्मर लगवाने के निर्देश दिये। **(एस0डी0ओ0 उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
22.	सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का पार्षद को पता नहीं लगता उन्हें बताया जाए।	सिटी प्रोजैक्ट अफिसर,नगर निगम, रोहतक व जिला समाजकल्याण अधिकारी को सभी पार्षदों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की सूचि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। **(सिटी प्रोजैक्ट अफिसर, नगर निगम, रोहतक व जिला समाजकल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
23.	मैने आज तक जो कार्य दिए हैं आज तक कोई नहीं हुआ है उनका असल ब्यौरा दिया जाए वे किस स्तर पर है?	**कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यो की सूचि उपलब्ध करवाई जायेगी।**
वार्ड नं0 02		
24.	दिनांक 18.02.2020 को हाऊस की मिटिंग में कुष्ट आश्रम संजय कालोनी में रेडक्रास की जमीन पर सामुदायिक केन्द्र बनाने के लिए, एन0ओ0सी0 के लिये रैडक्रास विभाग को पत्र लिखा गया था। बताया जाये आगे क्या कार्रवाई हुई?	कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम रोहतक सचिव, रैडक्रास से पत्राचार करके वास्तविक स्थिति से अवगत करवायेंगे। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
25.	दिनांक 18.02.2020 को मिटिंग में नेहरू कालोनी में नगर निगम की जमीन पर लगे सामुदायिक केन्द्र (अम्बेडकर भवन) को नगर निगम ने अपने हाथों में लेना था और चार्ज 21000 से घटाकर 11000 रू0 करना था बताया जाये एक साल में क्या कार्रवाई हुई?	नेहरू कालोनी में बने सामूदायिक केन्द्र के कार्यक्रम अनुसार राशि तय करने बारे इसके साथ लगते वार्डों के पार्षद श्री कृष्ण कुमार, सदस्य वार्ड नं0 01, श्रीमती सुमन रानी, सदस्य वार्ड नं0-02, श्री धर्मेन्द्र गुलिया पप्पन, सदस्य वार्ड नं0-04 की कमेटी गठित की गई जो कि इस बारे निर्णय लेने उपरांत आगामी बैठक में रखेगी। **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
26.	वार्ड नं0 2 में सुअरो के द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने व कालोनियों में सुअरों द्वारा गन्दगी फैलाने के खिलाफ दिनांक 18.02.2020 को मिटिंग में मुद्दा उठाया गया था। अब तक क्या कार्रवाई हुई बताया जाये और टैण्डर लगाकर सुअरों को पकड़कर बोली लगाई जायें।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम आवारा पशुओं को पकडवाने के अतिरिक्त आवारा सूअरों को भी पकडवायेगा व एक सप्ताह के लिए सूअरों को पकडने का विशेष अभियान चलाया जायेगा। **(मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

27.	दिनांक 18.02.2020 को हाऊस की मिटिंग में नेहरू कालोनी, पुल के नीचे शिव कालोनी व हनुमान वाटिका गोकर्ण तलाब पर जिम लगाना था इसके बारे बताया जाये क्या कार्रवाई हुई।	कार्यकारी अभियंता-।।, निगम निगम को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
28.	दिनांक 18.02.2020 को हाऊस की मिटिंग में कोर्ट के सामने बने गोल चक्र का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से रखने के बारे कहा था बताया जाये क्या कार्रवाई हुई।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम के वार्डो में पार्क/चौराहे इत्यादि का यदि कोई नामकरण किया जाना है तो संबधित पार्षद से एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग लेकर सब कमेटी के पास भिजवाया जाये। **(कार्यालय अधीक्षक व भू-अध्किारी , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
29.	दिनांक 10.09.2019 की हाऊस की मिटिंग में नेहरू कालोनी में नगर निगम की जमीन पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाने हेतु लिखा था जो दिनांक 01.01.2020 को MCR/EE/2020/5890 को 49.99 लाख रू0 के फण्ड के लिये भेजा गया था। सदन में बताया जाये अब तक क्या कार्रवाई हुई और निर्माण कब तक होगा या नही।	कार्यकारी अभियंता-।। को इस बारे स्मरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
30.	नेहरू कालोनी में पानी के बूस्टर के पम्प सैट बदलने, मोटर बड़ी लगाने व पानी का एक टैक और बनाकर पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये कई बार लिखा जा चुका है। हर बाा आश्वासन मिलता है लेकिन 02 साल में अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत हो जाती है बताया जाये काम होगा या नही।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग ने अवगत करवाया कि उक्त कार्य विभाग द्वारा कर दिया गया है। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाई की जानी है।)**
31.	वार्ड नं0 2 में कम से कम 200 लाईटे लगवाई जाये।	निदेशालय के पत्र कमांक EE-II/DULB/2020/2723 दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से नई लाईटों की खरीद के लिए निदेशालय स्तर पर सभी नगर पालिकाओं, परिषदों व निगमों के आवश्यकतानुसार खरीद व पुरानी लाईटों को बदलने हेतू DPR तैयार की जा चुकी है। जिस पर सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत सभी नगर पालिकाओं, परिषदों व निगमों मे लाईटें लगवाने का कार्य किया जायेगा। उक्त DPR में नगर निगम, रोहतक हेतू भी नई लाईटें सम्मिलित की गई है जिन्हे कार्य प्रारंभ होने पर आवश्यकतानुसार लगवा दिया जायेगा। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

32.	वार्ड नं0 2 में आज तक सिर्फ 15 बैंच रखे गये है जबकि दूसरे वार्डो में सैकड़ो बैच रखे जा चुके है। सभी वार्डो में एक समान काम होने चाहिये, भेदभाव नही।	कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को नियमानुसार व फंडस की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
33.	वार्ड नं0 2 में वार्ड की कालोनियों में स्पीड ब्रेकर लगाये जाये जो कम से कम 30-40 बनते है।	कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को स्पीड ब्रेकर हिदायतों बारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों बारे अवगत करवाया गया जिस पर सभी पार्षदों को आदेश की प्रति भिजवाने बारे निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
34.	दो साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुगरमील के मैदान की रैली में कलानौर हल्के के 5 वार्डो में 75 लाख खर्च होने थे बताया जाये कहॉ लगाये गये और क्या-2 काम हुयें।	**कार्यकारी अभियंता(मु0) नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यो की सूचि उपलब्ध करवाई जायेगी।**
35.	हमारे द्वारा दो साल से लगातार नेहरू कालोनी, रूप नगर के सीवरों की सफाई के लिए गुहार लगाई जा रही है। आखिर सफाई क्यो नही करवाई जा रही। ये हमारा अपने घर का काम नही है।	कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को नेहरू कालोनी में सीवरों की सफाई जल्द से जल्द करवाने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
36.	हाऊस की मिटिंग दिनांक 18.02.2020 में क्रम संख्या 25 को शिव कालोनी में शामलात जगह का ब्यौरा मांगा गया था इस पर क्या कार्रवाई हुई बताया जाए।	**नायब तहसीलदार व भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक** को शामलात जगह का ब्यौरा उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिये तथा यह भी निर्णय हुआ कि नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी नगर निगम की भूमि खाली पड़ी है उसकी तारबन्दी/बाउण्ड्रीवाल की जाए तथा राजस्व अर्जित करने के लिए लीज पर देने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। **(नायब तहसीलदार एवं भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
37.	हम पिछले 1½ साल से सुन रहे है कि बोहर के पास एक टैंक और बन रहा है जिससे पानी की सप्लाई बढ़ जायेगी बताया जाये कब तक सप्लाई बढ़ेगी या नही।	**कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।**
वार्ड नं0 8		
38.	कबीर कालोनी, हरकी देवी, में पानी की काफी किल्लत है उसका समाधान किया जाये व अलग से कबीर कॉलोनी की लाईन बिछाई जाए। इसके अतिरिक्त किशनपुरा टावर वाली गली में सीवर व पानी की लाईन की जरूरत है जो कि काफी पुरानी व खराब हो चुकी है।	कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता (जलापूर्ति व सीवर) जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
39.	वार्ड नं0 8 में कोई पार्क नहीं है, जसबीर कॉलोनी में जो जगह खाली है	भू अधिकारी को वार्ड नं0 8 में नगर निगम की जमीन चिन्हित करने उपरांत आगामी

	उसमें पार्क बनाया जाए।	बैठक में रखने के निर्देश दिये गये। **(भू-अधिकारी व नायब तहसीलदार नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
40.	किशनपुरा में टावर वाली गली में सीवर व पानी की लाईन की जरूरत है क्योंकि वह बहुत पुरानी होकर खराब हो चुकी है।	कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता (जलापूर्ति व सीवर) जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
41.	विशालनगर की मेन एन्ट्री पर 70-80 गज जगह है कृप्या उसका सौन्दर्यकरण किया जाए पेड़-पौधे लगाए जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
42.	लाढ़ौत रोड़, आजाद गढ बस स्टैण्ड के पीछे, शास्त्री नगर में चार छोटी–छोटी गलियां कच्ची हैं कृप्या उन्हें बनवाने का कष्ट करें। लाढ़ौत रोड़ पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मेन रोड़ कच्चा है कृप्या उसे बनवाने का कष्ट करें तथा राजेन्द्र नगर की तीन छोटी–छोटी गलियां लंबे समय से उखाड़ रखी है कृप्या उन्हें बनवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त छोटूराम नगर, सुखपुरा चौक की गलियां काफी जर्जर अवस्था में है कृप्या उन्हें भी नए सिरे से बनवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को मौका देखकर व Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
43.	आजादगढ़ के सामुदायिक केन्द्र को मरम्मत व रंग–रोगन की जरूरत है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को मौका देखकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
44.	वार्ड नं0 8 में जसबीर कॉलोनी की कई गलियों में बिजली की तारें काफी नीचे हैं। एक–दो बार इनसे घटना भी हो चुकी है और कुछ पोल गली के बीच में हैं कृप्या उन्हें भी हटाया जाए।	इस बारे अधीक्षण अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

वार्ड नं0 09		
45.	गांव बोहर में तीन एकड़ में पार्क बनाने के लिए गढ़ी बोहर में चार एकड़ में पार्क बनवाना है। सैक्टर 3 और 4 व सैक्टर 2 के पाट में कुछ जगह पर टाइल्स लगवानी जरूरी है। गांव बोहर में सोनीपत रोड़ पर अमृत नगर योजना के अन्तर्गत गांव के अन्दर से जो सड़क फाड़ रखी है जिसके कारण धूल उड़ती है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि गांव के स्टेडियम के चारों तरफ से सड़क का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। इसे भी तुरन्त दुरस्त किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम को मौका देखकर व Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-I,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
वार्ड नं0 11		
46.	वार्ड 11 में विकास कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बारे Maintenance and Cleaning of Strom Water Line at Sector 1,2,3 and Sector 14 Rohtak.	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्यकारी अभियंता-I,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
47.	वार्ड 11 में सैक्टर-1, 2 व 14 की टूटी हुई सड़के, फुटपाथ आदि का निरीक्षण करके बनवाने का कष्ट करें तथा इस वार्ड में कई पार्क है इसका सर्वे करके गजीबों, जिम व बैच लगवाने का कष्ट करें तथा जहा टाईलस, सबमर्सिबल पम्प नही लगे है लगवाये जाए तथा खराब पड़े सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत करवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम को मौका देखकर व Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-I,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
48.	सैक्टर 1, 2 व 14 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्लबों की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः वरिष्ठ नागरिक भवन बनाये जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को मौका देखकर व Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-I,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
49.	सैक्टर-14 को तथा ताऊ देवी लाल पार्क को फुट ओवर ब्रिज बनाकर जोड़ा जाए ताकि लोगो को इसमें आने जाने में सुविधा मिल सके व दुर्घटना से भी बचा जा सकें।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को मौका देखकर व Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-I,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

50.	सैक्टर-1 हाऊसिंग बोर्ड में बिजली के खम्बों मे जो तारे डाली गई है जो कि ओपन है। इनके स्थान पर Rubber Coated Insulated Wire डाली जाए तथा सैक्टर 14 के मेन रोड़ पर भी यही समस्या है तथा केबल आपरेटर व अन्य कम्पनियों की तारे बिजली के खम्बों पर टाग देते है इस बारे कार्यवाही की जाए।	इस बारे अधीक्षण अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता (मु0),नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
51.	सैक्टर 1 व 14 के कम्युनिटी सैन्टर के विस्तारिकरण हेतु प्रस्तावना की गई थी परन्तु इस बारे कोई कार्यवाही नही की गई।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को मौका देखकर व Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
52.	सैक्टर-14 में स्टोरम वाटर पाईप लाईन डाली गई थी उसे ठीक किया जाए। स्टोरम वाटर पाईप लाईन डालने बारे पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है तथा वार्ड नं0 11में स्टोरम वाटर तथा सीवर के ढक्कन नही है वह लगवाये जाए।	कार्यकारी अभियंता-।, दोनों ही विभागों क्रमशः जनस्वास्थ्य विभाग व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकारण से समन्वय स्थापित कर आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता–।, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
53.	वार्ड नं0 11 में आवारा पशुओं कुत्तों व बन्दरों से काफी परेशानी हो रही है। कृप्या इस बारे ठोस कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम, रोहतक को वार्ड नं0 11 में आवारा पशुओं कुत्तों व बन्दरों को विशेष अभियान चलाकर पकडवाने के निर्देश दिये गये है। **(मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
54.	ताऊ देवी लाल पार्क में शौचालय की तरफ हाई मास्क लाईट लगवाने का प्रावधान किया जाए।	ताऊ देवी लाल पार्क में शौचालय की तरफ हाई मास्क लाईट लगवाने हेतू कार्यकारी अभियंता को मौका देखकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0),नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
55.	वार्ड नं0 11 में चेन स्नेचिंग व चौरी की घटनाए अक्सर होती रहती है। अतः इनसे बचने हेतु शॉपिंग कम्पलैक्स व मेन चौराहो पर सी0सी0टी0वी0 लगवाये जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को मौका देखकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0),नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
वार्ड नं0 14		
56.	वार्ड नं0 14 में PGIMSके साथ लगती दीवार के अन्दर पार्क बनवाने का कार्य शुरू करने बारें।	वार्ड नं0 14 में PGIMS Rohtak के साथ लगती दीवार के अन्दर पार्क बनवाने बारे कार्यकारी अभियंता को मौका देखकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

57.	वार्ड नं0 14 में डीएलएफ कालोनी पार्क में रूके हुये कार्य शुरू करवाने बारें।	वार्ड नं0 14 में डीएलएफ कालोनी पार्क में रूके हुये कार्य शुरू करवाने हेतू कार्यकारी अभियंता को मौका देखकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
58.	दिल्ली रोड पर मातुराम कम्युनिटी सैन्टर का साईन बोर्ड लगवाने बारे।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम को मौका देखकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
59.	सरकुलर रोड अशोका चौक से लेबर चौक तक मेन रोड ठीक करवाने बारें।	श्री राधेश्याम ढल, पार्षद वार्ड नं0 14 में बताया कि उनके वार्ड में सरकुलर रोड अशोका चौक से लेबर चौक तक जनस्वास्थ्य विभाग ने पाईप लाईन डाली थी व रोड उखाड दिया था उसे ठीक करवाया जाए इस पर महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता (PHED) को जल्द से जल्द उक्त सडक ठीक करवाने के निर्देश दिये गयें। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
60.	वार्ड नं0 14 में 20 लाख के कार्यो के टैण्डर बारें।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम, रोहतक द्वारा अवगत करवाया गया कि वार्ड नं0 14 में 20 लाख के कार्यो हेतू टैण्डर किया जा चुका है।
61.	वार्ड नं0 14 में किरायदारों को मालिकाना हक देने बारें।	इस बारे महापौर महोदय ने भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को संबधित पार्षद से संपर्क स्थापित करके केस स्वीकृति हेतू सरकार को भेजने के निर्देश दिये गये। **(भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
62.	वार्ड नं0 14 में बीपीएल कार्ड बनवाने बारें।	इस बारे सिटी प्रोजेक्ट आफिसर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
63.	वार्ड नं0 14 में सीवरेज पानी की व्यवस्था बारें।	वार्ड नं0 14 में सीवरेज पानी की व्यवस्था में सुधार लाने हेतू कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
64.	वार्ड नं0 14 में निगम की जमीन कोलेक्टर रेट देने बारे।	वार्ड नं0 14 में निगम की जमीन कलैक्टर रेट देने बारे भू-अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
65.	वार्ड नं0 14 में गॉधी नगर सब्जीमण्डी रोड की सफाई पार्वती इन्टरप्राईजिज को देने बारें।	आगामी सदन की बैठक में विचार विमर्श हेतू रखा जाये।

66.	वार्ड नं0 14 में डी0एल0एफ कालोनी में नेताजी पार्क के बाहर गेट के ऊपर नेताजी पार्क का बोर्ड लगवाने बारें।	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को वार्ड पार्षद से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्य करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
67.	वार्ड नं0 14 में आदर्श नगर के मेन रोड से फुटपाथ हटकर इंटर लोक टाईल लगवाने बारें।	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को वार्ड पार्षद से समन्वय स्थापित करके फंडस की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
वार्ड नं0 18		
68.	वार्ड नं0 18 पालिका कॉलोनी में सामुदायिक केन्द्र व लाइब्रेरी बनवाई जाए।	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को Feasiblity करके फंडस की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
69.	वार्ड नं018 जनता कॉलोनी के हनुमान पार्क–2 में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को Feasiblity करके फंडस की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
70.	वार्ड नं0 18 में बिजली की तारें कई जगह काफी नीचे हैं उन्हें ऊपर करवाया जाए व आवश्यकता अनुसार खंभे भी लगवाए जाएं।	महापौर महोदय ने एस0डी0ओ0, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को बिजली की तारें उंची करवाने व आवश्यकतानुसार खंभे लगवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
71.	वार्ड नं0 18 में अमृत योजना के तहत झज्जर चुंगी से सुनारिया चौक तक सीवर की लाईन डाली गई है जनता कालोनी की मैन गलियों के सीवर के कनैक्शन उक्त लाईन से जोड़े जाए तथा वार्ड नं0 18 में कई गलियों में पानी व सीवर की लाईन नहीं है उन्हें डलवाया जाए।	कार्यकारी अभिंता, नगर निगम, रोहतक को Feasiblity करके फंडस की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता (मु0), नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
72.	सब्जी मण्डी व अनाज मण्डी में मार्किट कमेटी विभाग से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं लगाया जाता जिसके कारण वहां पर सफाई नहीं रहती यदि लगाया गया हो उसकी सूची संबधित पार्षद को दी जाये। अतः मार्किट कमेटी से पत्राचार करके सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करवाई जाए।	इस बारे महापौर महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक को मार्किट कमेटी से पत्राचार करके सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करवाने बारे निर्देश दिये गये। (मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

73.	वार्ड नं0 18 में कई गलियां कच्ची है व उबड–खाबड है उन्हे बनवाया जाये।	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को Feasiblity करके फंडस की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
74.	वार्ड नं–18 में गुरूकृपा जनरल स्टोर जनता कालोनी के पास 11000 वोल्ट का खंभा रोड के बीच में है उसे साईड में करवाया जाये।	महापौर महोदय ने एस0डी0ओ0, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को रोड के बीच से खंभा हटवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
वार्ड नं0 20		
75.	वार्ड नं0 20 डेयरी काम्पलेक्स में पीने के पानी की व्यवस्था व सडक पक्की की जाये सडकों का बुरा हाल है।	वार्ड नं0 20 डेयरी काम्पलेक्स में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतू कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये तथा सडक पक्की करवाने बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोतहक को निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग व कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोतहक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
76.	वार्ड नं0 20 में शमशान भूमि की जमीन देने बारे कम से कम आधा एकड जमीन दी जाये।	इस बारे भू–अधिकारी/नायब तहसीलदार को वार्ड 20 में नगर निगम की भूमि यदि कोई है तो, चिन्हित करके आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिये। **(भू–अधिकारी/नायब तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
77.	एकता कालोनी, राजीव नगर मे करीब 8 वर्षो से सीवर की लाईन खराब है नई सीवर लाईन डाली जाये।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को एकता कालोनी, राजीव नगर मे सीवर की खराब लाईन बदलवाने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
78.	अम्बेडकर कालोनी, एकता कालोनी, राजीव नगर व राजीव नगर के पीछे गलियां कच्ची पडी है उन्हे पक्का करवाया जाये व पानी की पाईप लाईन डलवाई जाये।	अम्बेडकर कालोनी, एकता कालोनी, राजीव नगर व राजीव नगर के पीछे पडी कच्ची गलियों को पक्का करवाने बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार कार्रवाइ के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
वार्ड नं0 21		
79.	वार्ड नं0 21 में लाईब्रेरी व डिस्पेंसरी बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी वार्ड पार्षदों से उनके वार्ड में डिस्पैसरी की आवश्यकतानुसार मांग लेकर CMO Rohtak के माध्यम से सरकार को

		केस भेजा जाये। **(कार्यकारी अभियंता (मु0), नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
80.	वार्ड नं0 21 में बहुत सी गलियां कच्ची पड़ी हैं उन्हें चिन्हित करके पक्का करवाया जाए।	वार्ड नं0 21 में गलियों को पक्का करवाने बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार कार्रवाइ के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
81.	वार्ड नं0 21 में 2015-16 में 1.44 करोड़ रूपए का श्मशान घाट का टैन्डर हुआ था आज तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को आवश्यक कार्रवाइ के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
82.	वार्ड नं0 21 शुगर मिल कॉलोनी के पार्क के Renovation का टैन्डर हुआ था उसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है उसका कार्य शुरू किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को आवश्यक कार्रवाइ के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
83.	वार्ड नं0 21 में बिजली की लोहे की तारें नीची हैं उन्हे बदल कर उन्हें ऊपर करवाया जाए।	वार्ड नं0 21 में बिजली की लोहे की तारें बदलवाने बारे एस0डी0ओ, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
84.	वार्ड नं 21 में सीवर व्यवस्था ठीक नहीं है उसे सुचारू रूप से चालू करवाया जाए इसके अतिरिक्त कई गलियों पानी की लाईन भी नहीं है पानी की लाईन डलवाई जाए।	वार्ड नं 21 में सीवर की व्यवस्था में सुधार लाने व गलियों में आवश्यकतानुसार पानी की लाईन डलवाने बारे महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता(जलापूर्ति व सीवर) जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता(जलापूर्ति व सीवर) जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
85.	वार्ड नं0 21 शीतल नगर, न्यूविजय नगर में बिजली की 11000 वोल्ट की लाईन घरों की छत पर से गुजर रही है उनका एस्टीमेट बनवाकर तारों को शिफट करवाया जाये।	वार्ड नं0 21 शीतल नगर, न्यूविजय नगर में घरों की छत पर से गुजर रही बिजली की 11000 वोल्ट की तारों को शिफट करवाने बारे एस0डी0ओ0, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को सरकार से पत्राचार करके लाईन शिफट करवाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

86.	झज्जर रोड़ व कच्चा बेरी रोड़ पर सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाए।	झज्जर रोड़ व कच्चा बेरी रोड़ पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने हेतू कार्यकारी अभियंता–।। को संबधित पार्षद से समन्वय स्थापित करके आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता–।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

इसके बाद महापौर महोदय की स्वीकृति उपरांत निम्न मदों पर चर्चा की गईः–

मद संख्या	एजेन्डा	निर्णय
1.	महापौर महोदय ने जलघरों की सफाई व गाद निकालने बारे मुख्यमंत्री महोदय का सदन की तरफ से धन्यवाद किया।	सदन द्वारा माननीय मुख्मन्त्री महोदय तथा मेयर महोदय का विशेष आभार प्रकट किया व बाकी जलघरों की भी सफाई का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित करते हुए निर्णय लिया कि कार्य के अनुसार इसकी अदायगी भी नगर निगम रोहतक के स्तर पर की जाए।
2.	आयुक्त, महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि देश के 10 शहरों में रोहतक को जलशक्ति अभियान में शामिल किया है। केन्द्र सरकार की टीम सर्वे के लिए आ गई है इस टीम के सर्वे के दौरान जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी, दूषित पानी की आपूर्ति, पानी की लीकेज आदि बिन्दुओं पर सर्वे किया जायेगा। जलशक्ति अभियान के तहत पानी व सीवरेज की समस्या का दूर हो जायेगी। इस पर आयुक्त महोदय सहित पूरे सदन ने केन्द्र व राज्य सरकार का आभार जताया।	सदन द्वारा माननीयजलशक्ति मन्त्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमन्त्री जी का विशेष आभार प्रकट किया गया तथा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को फिल्ड अनुसार DNIT तैयार करवाने बारे निर्णय लिया।
3.	महापौर महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि मैदांता हस्पताल की ओर से नगर निगम की पं0 श्रीराम रंगशाला में मंगलवार,वीरवार व शनिवार को 500/– रूपये व सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को निःशुल्क ओपीडी लगाई जायेगी यदि कोई व्यक्ति मेंदांता अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहे तो स्पेशल सर्टीफिकेट बनाकर दिया जायेगा जिससे मरीज को इलाज में 15 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।	माननीय महापौर द्वारा जनहित को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु चलाए गए विशेष अभियान का सदन द्वारा माननीय महापौर का विशेष धन्यवाद किया।
4.	महापौर महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि वार्ड नं0 13 में 500 घरों में घरेलू कूडे से खाद बनाई जा रही है, वहां लोग अपने घरों का कूडा बाहर नही जाने देते, महापौर महोदय ने वार्ड पार्षद श्रीमती कंचना खुराना का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने घरों से निकलने	सभी वार्ड पार्षदों के ध्यानार्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए चलाई मुहिम हेतु विशेष धन्यवाद किया गया।

	वाले कचरे को बाहर न फैंक कर उसकी खाद बनाएंगे वे उनका घर-2 जाकर स्वयं धन्यवाद करेंगे।	
5.	बैठक में उपस्थित पाषर्दों द्वारा डेयरी शिफ्टिंग करवाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया।	इस पर डेयरी कॉम्पलेक्स में हाई टैंशन लाईन शिफट करने बारे कार्यकारी अभियन्ता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को एस्टीमेट तैयार करने बारे निर्देश दिए गए। डेयरी शिफ्टिंग के लिए सहायक नगर योजनकार, नगर निगम रोहतक को नक्शा तैयार करने बारे निर्देश दिए गए। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियन्ता,उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व सहायक योजनाकार नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी है)**
टेबल एजेंण्डे		
1.	वार्ड न0. 1 स्थित आई.डी.सी. के अन्दर नगर निगम रोहतक द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाने बारे अनुरोध रोहतक आई. डी.सी इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया है सदन के विचारार्थ प्रेषित है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता (मु0) को संयुक्त निदेशक, D.I.C से पत्राचार के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-(मु0), नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
2.	वार्ड न0. 1 स्थित पुराने शुगर मील के पीछे एक चौक है जिसका नाम शहीद भगत सिंह चौक बनाया जाए।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम के वार्डो में पार्क/चौराहे इत्यादि का यदि कोई नामकरण किया जाना है तो संबधित पार्षद से एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग लेकर सब कमेटी के पास भिजवाया जाये। **(कार्यालय अधीक्षक व भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3.	वार्ड न0. 1 स्थित शास्त्री नगर में पेट्रोल पम्प वाली गली में स्ट्रोम वाटर की लाईन लगाई जाए।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को शास्त्री नगर में पेट्रोल पम्प वाली गली में स्ट्रोम वाटर की लाईन डलवाने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
4.	वार्ड नं0 02 की पार्षद श्रीमती सुमन रानी ने उनके वार्ड में स्थित खुंभी फार्म के पास सीवर ब्लाकेज की समस्या बारे अवगत करवाया व बताया कि सीवर बलाकेज होने के कारण पानी भर जाता है व दुर्गंध रहती है।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग में जल्द से जल्द वार्ड नं0 2 स्थित खुंभी फार्म के पास ब्लाक सीवरों को खुलवाने का आश्वासन दिया। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
5.	मेरे वार्ड नं0 3 में वाल्मिकी आश्रम का काम अधूरा पड़ा है कृप्या करके उसको पूरा किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम को फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

6.	मेरे वार्ड नं0 3 में कृष्णा कॉलोनी में लगभग 200 घर है। जहां पर पानी की लाईन बिछी हुई है वहां पर पानी नहीं पहुंचता।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को कृष्णा कालोनी में पानी की व्यवस्था मे सुधार लाने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
7.	इन्द्रा कॉलोनी वार्ड नं0 3 मेन रोड़ पर सीवर की नई लाईन डलवाने हेतू।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
8.	वार्ड नं0 04 के पार्षद श्री धमेन्द्र गुलिया ने उनके वार्ड में धर्मशाला का कार्य पूरा करवाने बारे अनुरोध किया।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को वार्ड 04 की धर्मशाला का कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
9.	वार्ड नं0 04 में रैबारी धर्मशाला का कार्य अधूरा पडा हुआ है उसे पूरा करवाया जाये।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को वार्ड 04 की रैबारी धर्मशाला का कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
10.	वार्ड नं0 04 के पार्षद श्री धमेन्द्र गुलिया ने बताया कि उनके वार्ड में नया बूस्टर बना हुआ है उसे पुराने बूस्टर से न जोडा जाये। बल्कि उससे उन क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाये जहां पानी नही है तथा उन्होंने यह भी बताया कि उनके वार्ड्र में काफी गंदा पानी आता है जो कि पीने लायक नही है। गंदा पानी पीने से लोगो के बीमार होने का खतरा बना रहता है।	महापौर महोदय द्वारा इस विषय को काफी गम्भीरता से लिया एवं कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग व कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को वार्ड पार्षद से समन्वय स्थापित करके जहां पानी गंदा आता है वहां स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग व कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
11.	वार्ड न0. 5 स्थित डेयरी मोहल्ला माता दरवाजा से 10 इंच पीने के पानी की लाईन ए.सी. होने के कारण डेमैज हो चुकी है। अमृत योजना के तहत डायरी मोहल्ला से रेनकपुरा तक नई डी.आई. लाईन लगवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार AMRUT योजना के तहत आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
12.	वार्ड न0. 5 स्थित अमृत योजना के सीवर व पानी की मैप कॉपी दी जाए।	कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को मैप की प्रति उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता(मु0) व कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

13.	वार्ड 5 के हाऊस टैक्स का सर्वे पूरा नहीं हुआ और न ही नए सर्वे के अनुसार हाऊस टैक्स के बिल आए हैं जिन मकानों का सर्वे नहीं हुआ है उनका दोबारा सर्वे करवाया जाए और उनका हाऊस टैक्स का बिल भेजा जाए।	महापौर महोदय ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार आवश्यक कर्रवाई के निर्देश दिये तथा जनहित के कार्य व राजस्व हानि को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिये कि जब तक नई प्रणाली से प्रोपर्टी टैक्स के डिमांड बिल शुरू नहीं हो जाते तब तक पिछली एजेंसी के माध्यम से जनता के लम्वित कार्य पूर्ण करवाए जाए। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
14.	वार्ड न0. 5 स्थित जिस एरिया में लाईन से पानी नहीं पहुंचता उनमें पानी के टैंकर की सुविधा बढ़ाई जाए गर्मी के मौसम में 4 टैंकर पार्षद के कहे अनुसार लोगों को दिए जाएं। इसके अतिरिक्त पानी कनैक्शन की कागजी कार्यवाही को सरल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनैक्शन मिल सके।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को सभी वार्डो में पानी की समस्या में सुधार लाने व जिस एरिया में पानी नही पहुंचता वहां समुचित मात्रा में पानी के टैंकर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
15.	वार्ड न0. 5 स्थित गन्दे पानी और लिकेज की शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। शिकायत निवारण का समय निश्चित किया जाये। समय पर कार्यवाही न होने विभाग से कारण बताओ नोटिस लिखित में लिया जाये और उस पर कार्यवाही हो।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को गन्दे पानी व लीकेज की समस्या के निवारण पर भविष्य में जल्द कार्रवाई करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
16.	वार्ड न0. 5 स्थित हर 4 महीने में सीवरों का मशीनों से मलबा निकलवाया जाये तथा हर महीने वार्ड सफाई की पार्षद को रिपोर्ट दी जाये, शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाये।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को समय-2 पर सीवरों की व्यवस्था चैक करने व मशीनों से रूके हुए सीवरों की सफाई करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
17.	वार्ड न0. 5 स्थित जिन पार्षदों का एक साईन बोर्ड है, उनका एक और लगवाया जाये।	सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि जिन पार्षदों के एक-2 साईन बोर्ड लगें हुए है उन सभी के एक-2 और साइन बोर्ड लगवा दिए जाएगें। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
18.	वार्ड न0. 6 स्थित रविदास मंदिर, धर्मशाला व धानक चौपाल का बचा हुआ कार्य पूरा करवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
19.	वार्ड न0. 6 स्थित तेज कॉलोनी में पार्क का नाम सन्त कबीर पार्क रखा जाए व उसका लेवल करके उसमें घास लगाई जाए दिवारों की मरम्मत करवाई जाए।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम के वार्डो में पार्क/चौराहे इत्यादि का यदि कोई नामकरण किया जाना है तो संबधित पार्षद से एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग लेकर सब कमेटी के पास भिजवाया जाये। **(कार्यालय अधीक्षक व भू-अधिकारी,नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

20.	वार्ड न0. 6 स्थित कृष्णा कॉलोनी, महावीर कॉलोनी व भगत सिंह कॉलोनी, के साथ लगते कच्चे नाले को पक्का करवाया जाए ताकि महामारी से बचा जा सके तथा गोहाना रोड़ पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी के साथ पार्क में लाईट लगाई जाए व वहां शौचालय बनाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रोहतक से पत्राचार करने बारे निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
21.	वार्ड न0. 6 स्थित राम जोड़ी के बूस्टर को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को रामजोहडी बूस्टर का कार्य जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
22.	वार्ड नं0 7 स्थित के पार्षद श्री मनोज कुमार ने उनके वार्ड स्थित आसनिया वाली गली की पानी की लाईन जुडवाने बारे अनुरोध किया।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को उक्त पानी की लाईन जुडवाने बारे निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
23.	वार्ड नं0 7 स्थित के पार्षद श्री मनोज कुमार ने उनके वार्ड स्थित उत्तम विहार स्थित सीवर लाईन ब्लाक की समस्या बारे अवगत करवाया व जल्द से जल्द सीवरों को खुलवाने का अनुरोध किया।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को मशीनों से उत्तम विहार के रूके हुए सीवरों की सफाई करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
24.	वार्ड नं0 7 स्थित के पार्षद श्री मनोज कुमार ने उनके वार्ड स्थित 20 लाख रूपये के टैण्डर का पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता नगर निगम को वार्ड 07 के 20 लाख रूपये के टैण्डर का ब्यौरा संबधित पार्षद को उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
25.	वार्ड नं0 08 स्थित के पार्षद श्री सुनील कुमार ने सोनीपत रोड पर बनाये जाने वाले पुल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाने बारे अनुरोध किया।	वार्ड नं0 08 के पार्षद श्री सुनील कुमार ने सोनीपत रोड पर बनाये जाने वाले पुल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाने हेतू अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
26.	वार्ड नं0 08 स्थित के पार्षद श्री सुनील कुमार ने वार्ड में पडी नगर निगम की खाली जमीन का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया।	इस बारे नायब तहसीलदार, नगर निगम रोहतक को वार्ड वाईज नगर निगम की जमीन का ब्यौरा तैयार करके सूची तैयार करने के निर्देश दिये। **(नायब तहसीलदार, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

27.	वार्ड नं0 08 स्थित के पार्षद श्री सुनील कुमार ने शहर में पी0जी0 काफी हो गए है ज्यादातर पी0जी0 रिहायशी एरिया में ही आते है। अतः उन पर 100 रूपये प्रति कमरा चार्ज लिया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए नगर निगम गुरूग्राम की तर्ज पर शहर में चल रहे पी0जी0 संचालकों से प्रति कमरा 100 रूपये प्रतिमाह वसूलने बारे क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये कि गुरूग्राम से पत्राचार करके नवीनतम स्थिति से अवगत करवायें। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा नगर निगम, गुरूग्राम से पत्राचार कर आगामी कार्रवाई हेतू निर्देश दिये)**
28.	वार्ड नं0 10 के पार्षद की राहुल देशवाल जी ने सदन को बताया कि उनके वार्ड में सभी के बिजली के मीटर घरों के बाहर लगे हुए है व लगभग सभी बिजली का बिल समय पर भरते है। अतः उनके वार्ड को जगमग योजना में शामिल किया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि इस बारे उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को पत्र लिखा जाये। **(कार्यकारी अभियंता-मु0, नगर निगम, रोहतक द्वारा पत्राचार किया जाना है।)**
29.	वार्ड नं0 10 के पार्षद की राहुल देशवाल ने उनके वार्ड में बने बस स्टाप के पास शौचालय बनवाने बारे अनुरोध किया।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
30.	वार्ड नं0 10 के पार्षद की राहुल देशवाल ने बताया कि उनके वार्ड में काफी लोगों ने पानी के डबल कनैक्शन ले रखे है व कई लोग सप्लाई के पानी से ही सिंचाइ इत्यादि भी कर रहे है। जिसके कारण वार्ड में समुचित मात्रा में पानी नही मिल पाता।	महापौर महोदय ने इसे गंभीरता से लेते हुए अवैध कनैक्शन लेने वालों पर जुर्माना/चलान करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
31.	वार्ड नं0 11 के पार्षद श्री कदम सिंह, अहलावत ने सैक्टरों में पानी की निकासी की समस्या बारे अवगत करवाया कि बरसात के समय में सैक्टरों में पानी की निकासी न होने के कारण जलभराव की समस्या हो जाती है।	आयुक्त नगर निगम रोहतक ने सदन को अवगत करवाया कि सैक्टरों से पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर 61 लाख रूपये का टैण्डर तैयार कर दिया गया है ताकि बरसात के समय सैक्टरों में बरसात का पानी न भर सके। इस पर वार्ड नं0 11 के पार्षद श्री कदम सिंह, अहलावत ने सदन का धन्यवाद किया। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
32.	वार्ड नं0 11 के पार्षद श्री कदम सिंह, अहलावत ने सैक्टर 1 व 2 के साथ लगती जे0एल0एन0 के साथ खाली पडी जमीन को पक्का करके ट्रैक बनाने की मांग की।	इस पर सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि उक्त जगह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है लेकिन वे डिच ड्रैन की सफाई करवा देंगे। जे0एल0एन0 के साथ खाली पडी जमीन को पक्का करके ट्रैक बनाने व उसका सौन्दर्यकरण हेतू महापौर महोदय द्वारा मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।

		(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा HSVP व सिंचाई विभाग से पत्राचार किया जाना है।)
33.	वार्ड न0. 12 स्थित रामगोपाल कॉलोनी में बिजली की नंगी तार बदलकर केबल डलवाई जाए व कुछ गलियों में बिजली पोल पर केबल नहीं है वे डलवाई जाए।	वार्ड नं0 21 में बिजली की की तारें बदलवाने व आवश्यकतानुसार बिजली के पोल लगवाने बारे एस0डी0ओ, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
34.	वार्ड न0. 12 स्थित देव कॉलोनी में अवैध रूप से पीजी बने हुए हैं उनको बंद करवाया जाए व उनका टैक्स कॉर्मिसियल किया जाए पुलिस गस्त बढ़ाई जाए ताकि बच्चे वहां शरारत न करें।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए नगर निगम गुरूग्राम की तर्ज पर शहर में चल रहे पी0जी0 संचालकों से प्रति कमरा 100 रूपये प्रतिमाह वसूलने बारे क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा नगर निगम, गुरूग्राम से पत्राचार कर आगामी कार्रवाई हेतू निर्देश दिये)**
35.	वार्ड नं0 13 के सुभाष नगर में वाल्मिकि बस्ती है जिसमें 80 परिवार निवास करते हैं। यह बस्ती पिछले 70 वर्षों से नगर निगम की जमीन पर स्थापित है इसमें अधिकांश गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं जिसके पास राशन कार्ड, पानी, बिजली, सीवर के वैध कनैक्शन है और सभी के पास नगर निगम की सभी पुरानी एसैस्मैन्ट भी है लेकिन जमीन की मलकियत ना होने के कारण केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अतः आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के अन्तर्गत इन सभी परिवारों को जमीनी मालिकाना हक के वैध दस्तावेज बनाकर दिये जाए ताकि वह केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, डा0 अम्बेडकर मकान नवीनीकरण योजना व अन्य गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सके।	कार्यवाही सिटी प्रोजैक्ट आफिसर, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
36.	नगर निगम में पिछले 5-6 वर्षों से अनुबंध सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर	यह निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है। **(कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	स्थायी कर्मचारियों से भी ज्यादा काम किया है इंसानियत का तकाजा है कि इन सभी कर्मचारियों को नगर निगम में समायोजित किया जाए।	
37.	नगर निगम की जन्म मृत्यु शाखा में कार्यरत कर्मचारी दयानन्द शर्मा द्वारा आम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार व उत्पीड़न किए जाने की शिकायत आम है पिछले दिनों मॉडल टाऊन निवासी श्रीमती पुष्पा लता का निधन हो गया उनकी पुत्री पूर्णिमा शर्मा ने सभी कागजात पूर्ण करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया लेकिन जूनियर सोनोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत दयानन्द शर्मा ने अनावश्यक रूप से परेशान किया गया हालांकि निगम आयुक्त के हस्तक्षेप से प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया लेकिन कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः आपसे प्रार्थना है कि दयानन्द शर्मा को पद से बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए।	इस बारे कार्यालय अधीक्षक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि उक्त कर्मचारी को शाखा से हटाया जा चुका है।
38.	वार्ड न0. 17 स्थित प्रताप चौक पर गौर मैचिंग सैन्टर के पास हर दूसरे दिन सीवर लाईन रूक जाती है और बैक मारती है। सीवर लाईन नई डलवाने हेतू।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को प्रताप चौक पर गौर मैचिंग सैंटर के पास सीवर व पानी की लाईन जल्द से जल्द मशीनों द्वारा साफ करवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
39.	वार्ड न0. 17 स्थित दशमेश नगर गली में सीवर डलवाने हेतू।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
40.	वार्ड न0. 17 स्थित राधे–राधे पार्क के बाथरूम की सीवर लाईन को मेन रोड़ वाली लाईन से जोड़ने हेतू।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
41.	वार्ड न0. 17 स्थित सरकारी स्कूल की खाली जमीन पर पार्किंग बनवाने हेतू (नजदीक बब्बी पूड़ी वाला) ।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

42.	वार्ड न0. 17 स्थित सीवर के ढक्कन निगम के पास नहीं है।	इस बारे महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को वार्ड 17 में आश्यकतानुसार सीवर के ढक्कन बदलवाने बारे निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
43.	वार्ड नं0 17 में नरेश दरोगा के पास सफाई कर्मचारियों की कमी है।	वार्ड नं0 17 में सफाई कर्मचारियों की कमी को देखते हुए मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिये गये। **(मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
44.	पानी की समस्या वार्ड नं0 17 में और पूरे शहर में इतनी खस्ता हालत में हो चुकी है कि लोग गन्दा पानी पीने को मजबूर हैं जैसे–पाड़ा मोहल्ला, किला मोहल्ला, गोहाना अड्डा, तेज कॉलोनी।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को वार्ड नं0 17 में पाडा मोहल्ला, किला मोहल्ला, गोहाना अड्डा व तेज कालोनी में जल्द से जल्द पानी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
45.	वार्ड नं0 17 और पूरे शहर सीवरेज की समस्या भी इतनी ज्यादा है कि हर तीसरे दिन सीवर बैक मार जाते है और भर जाते हैं।	महापौर महोदय ने कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को वार्ड नं0 17 में में जल्द से जल्द जहां-2 सीवर ब्लाकेज है उन्हे मशीनों द्वारा खुलवाने के निर्देश दिये। **(कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
46.	पैंशन के लिए पांचवी, 6 वीं की मार्कशीट को किसलिए अमान्य किया गया है?	समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।
47.	जिनकी लाड़ली पैंशन बंद हो गई है तो उसको बुढ़ापा पैंशन में कन्वर्ट किया जाए, अगर उनकी आयु 60 वर्ष हो गई है तो।	इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये ताकि आमजन को भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। **(जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
48.	बच्चों की पैंशन डी.सी. ऑफिस में कम्पयूटर पर शो कर रही है और बैंक में नहीं आ रही है।	इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये ताकि आमजन को भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। **(जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
49.	अगर जो व्यक्ति 2015 में हाऊस टैक्स या कोई भी कर निगम को जमा कराता है और उससे उसकी रसीद अगर गुम हो जाती है तो निगम के पास भी उसका कोई प्रूफ जरूर होना चाहिए। निगम दोबारा कर वसूल रहा है जिससे जनता परेशान हो रही है।	महापौर महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि नगर निगम की संपत्तिकर शाखा में 18 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, श्री जगदीश, अनुभाग अधिकारी को क्षेत्रीय कराधान अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है व संयुक्त आयुक्त,नगर निगम, रोहतक इसके नोडल अधिकारी है। भविष्य में आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नही होगी।

50.	गांधी कैम्प में पब्लिक पार्क का नाम 1008 महामण्डलेश्वर स्वामी अमृतानन्द के नाम से रखा जाए।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम के वार्डो में पार्क/चौराहे इत्यादि का यदि कोई नामकरण किया जाना है तो संबधित पार्षद से एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग लेकर सब कमेटी के पास भिजवाया जाये। **(कार्यालय अधीक्षक व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
51.	पुरानी आई.टी.आई. में गुरू जी बड़े मन्दिर छतरपुर की आस्था को देखते हुए प्रमुख संस्थान संस्था को देने के लिए। संस्था उस स्थान की कीमत चुकाने को भी तैयार है।	उक्त प्रस्ताव बारे भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पत्राचार करने बारे निर्देश दिये गये। **(भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
52.	अवैध मीट की दुकानों को बाहर करा जाए और मीट विक्रेता बगैर लाईसेन्स के न बेचने दिया जाए और जो बाहर के लोग यहां आकर मीट या नाई की दुकानें खोलते हैं उनकी स्थान पर लोकल व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए।	सदन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक मीट बेचने वाले दुकानदार मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बन्द रखेंगे। **(मुख्य सफाई निरीक्षकों, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
53.	वैश्य कॉलेज के पास श्मशान भूमि की मशीन चालू करवाई जाए।	कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
54.	वार्ड न0. 19 स्थित हाऊसिंग बोर्ड में नई पानी की लाईन डाली जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
55.	वार्ड न0. 19 स्थित हाऊसिंग बोर्ड में जो बरसाती पानी की लाईन का काम शुरू हुआ है उसे पूरा किया जाए और इसके लिए कुआं बनाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को Feasiblity चैक करके फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
56.	वार्ड न0. 19 स्थित चिन्योट कॉलोनी और पटेल नगर और शिवाजी कॉलोनी के पार्कों का पूर्ण निर्माण किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम को फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
57.	वार्ड न0. 19 स्थित टेक नगर में सिवरेज व पानी के लिए नई लाईन डाली जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता(जलापूर्ति व सीवर) , जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

58.	वार्ड न0. 19 स्थित न्यू चिन्योट कॉलोनी में सीवर की नई लाईन डाली जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
59.	वार्ड न0. 19 स्थित अमृत योजना द्वारा श्री नगर कॉलोनी में जो सीवर लाईन डाली गई थी उसे पीजीआई में जोड़ा जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम को PGIMS से एन0ओ0सी लेकर फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
60.	वार्ड न0. 19 स्थित शिवाजी कॉलोनी में रेन हारवास्टिंग सिस्टम बनाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-। नगर निगम को फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
61.	वार्ड न0. 19 स्थित श्री नगर कॉलोनी में जो नया पार्क बना है उसमें पेड़–पौधे, घास लगाकर उसका उदघाटन किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता-। नगर निगम को फंडस की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
62.	वार्ड न0. 19 स्थित छोटे त्रिकोणा पार्क का नाम शहीद नितिश आर्य के नाम से रखा जाए।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम के वार्डो में पार्क/चौराहे इत्यादि का यदि कोई नामकरण किया जाना है तो संबधित पार्षद से एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग लेकर सब कमेटी के पास भिजवाया जाये। **(कार्यालय अधीक्षक व भू-अधिकारी, नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
63.	वार्ड न0. 19 में Civic Amenities तहत जो कार्य रह गये है उन्हे पूरा करवाया जाये तथा फंडस की डिमांड हेतू मुख्यालय मे पत्र भेजा जाये।	उपमहापौर द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(सभी कार्यकारी अभियंताओं, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
64.	सोनीपत रोड़ व झज्जर रोड़ जो तालाबों की सफाई व मरम्मत का कार्य हुआ है उससे शहर वासियों को लाभ हुआ है शहर के अन्य तालाबों की मरम्मत व सफाई का कार्य करवाया जाए।	उपमहापौर द्वारा रखे हुए प्रस्ताव पर सदन द्वारा माननीय मुख्मन्त्री महोदय तथा मेयर महोदय का विशेष आभार प्रकट किया व बाकी जलघरों की भी सफाई का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित करते हुए निर्णय लिया कि कार्य के अनुसार इसकी अदायगी भी नगर निगम रोहतक के स्तर पर की जाए। **(सभी कार्यकारी अभियंताओं, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
65.	वार्ड नं0 22 की पार्षद श्रीमती संतोष देवी ने सुनारियां गांव में स्टेडियम बनाने बारे अनुरोध किया।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक ने सदन को अवगत करवाया कि सुनारिया गांव में स्टेडियम बनाने हेतू खेल विभाग को पत्र लिख दिया गया है। **(जिला खेल अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

66.	वार्ड नं0 22 की पार्षद श्रीमती संतोष देवी ने सुनारियां गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने बारे अनुरोध किया।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि गांव सुनारियां में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। **(कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
67.	वार्ड नं0 22 की पार्षद श्रीमती संतोष देवी ने सुनारियां गांव में सामूदायिक केन्द्र का कार्य पूरा करवाने बारे अनुरोध किया।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक ने सदन को अवगत करवाया कि सामुदायिक केन्द्र बनवाने का कार्य प्रगति पर है जल्द ही पूरा करवाया जायेगा। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
68.	वार्ड नं0 22 में अमृत योजना के तहत 600 कनेक्शन दिये जाने थे परन्तु अभी तक 150 कनैक्शन ही दिये गये है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को गांव सुनारिया में पानी के कनैशन पूरे करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाइ की जानी है।)**
69.	वार्ड नं0 22 की पार्षद श्रीमती संतोष देवी ने सुनारियां गांव जोहड का पानी निकलवाने बारे अनुरोध किया।	सुनारियां गांव से जोहड का पानी निकलवाने बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाइ की जानी है।)**

आयुक्त महोदय व महापौर महोदय ने उपस्थित सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 15-4-2021

क्रमांक MCR/Mayor/2021/586-89
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-
1. श्री अरविंद शर्मा, सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
3. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।
4. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधानसभा सदस्य, रोहतक।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2021/ 590 – 604 दिनांक 15-04-2021

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. उपायुक्त, रोहतक।
6. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।
7. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग रोहतक।
8. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग) विभाग रोहतक।
9. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
10. अधीक्षक अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
11. सिविल सर्जन, रोहतक।
12. संयुक्त निदेशक, IDC, Rohtak.
13. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
14. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
15. निजी सहायक आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।